बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०–2/आर०–14/2024– e **/स्वा पटना, दिनांक / /2026**

डा0 एजाज अहमद, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल अस्पताल, जयनगर, मधुबनी के दिनांक–07.08.2015 से 18.08.2015 तक की प्रभार रहित अवधि को कर्त्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है :–

2. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–2/आर०–14/2024– 9511(27) **पटना, दिनांक** 15/10/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी /उपाधीक्षक, अनुमंडल अस्पताल, जयनगर, मधुबनी/कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी/डा0 एजाज़ अहमद, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल अस्पताल, जयनगर, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।